A-7388/SIC/GWALIOR/2022 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग नस्ती क्र. (1)

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

उपरोक्त विषयांतर्गत आयोग को प्राप्त द्वितीय अपील की अभिस्वीकृति का पत्र अपीलार्थी को भेजा जाना है, अतः भेजे जाने वाले पत्र की स्वच्छ प्रतियां अवलोकनार्थ एवं हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत।

अनुभाग अधिकारी,
जावक

23/1/23

जावक क्रमांक 1059
दिनांक 31.01.2023

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 15/9/2023 नियत की जाती है।

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग, भोपाल

सु. पत्र ह0 प्रस्तुत।

अ0आ0

14/8/2023

जावक क्रमांक : 8903
दिनांक : 17.8.23

शासकीय—312— असाधारण—23 ...

A-7388/SIC/GWALIOR/2022 पृ. क्र. (2)

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी मिलना

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

A–7388/Gwalior/2022

आदेश

15/09/2023

(1) प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 15/09/2023 में अपीलार्थी श्री विमल जैन उपस्थित। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/आयुक्त नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 अनुपस्थित एवं उनकी ओर से प्रतिनिधि श्री राजेश शर्मा उपयंत्री जल प्रदाय संधारण खण्ड कमांक–1 नगर निगम ग्वालियर म0प्र0 समक्ष में उपस्थित रहे।

(2) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 15/07/2022 को लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 में दायर कर निम्नानुसार 06 बिन्दुओं की जानकारी मांगी गयी–

(1) आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा 1,04,68,136 रुपये का भुगतान किया गया उपरोक्त राशि के सभी आदेशों, देयकों तथा माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। भुगतान नोटशीट भी दिलवाने का कष्ट करें।

(2) आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रार्थी की फर्म मेसर्स पारस एक्वाटेक को 691 देयकों की राशि 3368136/–रूपये का भुगतान किया गया था। उक्त राशि की भुगतान नोटशीट कार्यादेश देयक, माप पुस्तिकाओं तथा भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। संलग्न पत्र क्रमांक 3296 दिनांक 10/02/2012

(3) आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित भुगतान गणना समिति द्वारा 517 देयकों की राशि 3289938 मान्य की गई थी उपरोक्त राशि के आदेशो, देयकों तथा माप पुस्तिकाओं तथा भुगतान नोटशीट की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। आज दिनांक तक 517 देयकों के भुगतान के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। संलग्न पत्र क्रमांक 471 दिनांक 10/02/2012

(4) आयुक्त कार्यालय के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1122 दिनांक 06/04/2022 चतुर्थ सदस्यी भुगतान गणना समिति द्वारा जो भुगतान के संबंध में की गई कार्यवाही की नोटशीट की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें, आज दिनांक तक 517 कार्यादेशों, 517 देयकों तथा माप पुस्तिकाओं तथा आज दिनांक तक की गई भुगतान कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(5) कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय खंड क्रमांक–2 नगर निगम ग्वालियर के पत्र क्रमांक 6636 दिनांक 01/12/2011 में 17 बंडलों की गणना के समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दिलवाने बाबत्।

(6) मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्र क्रमांक 470 दिनांक 12/01/2021 के तहत आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा की गयी कार्यवाही के संपूर्ण भुगतान संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दिलवाने बाबत् संलग्न पत्र।

15.9.23 Rupesh Sharma 9425709940
Vimal Jain 15-9-2023
9039853171

द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

(3) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा दिनांक 01/12/2022 को आयोग में प्रस्तुत द्वितीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि वांछित जानकारी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक प्रदाय नहीं की गयी। सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

(4) प्रकरण में संक्षेप की भूमिका यह है कि आवेदक श्री विमल जैन एक प्राइवेट कांट्रेक्टर थे नगर निगम ग्वालियर में सबमर्सिबल पंप की रिपेयरिंग का कार्य इनके पास था इसमें उनके द्वारा सन् 2008 तक कार्य किया गया और कार्य के एवज में उनके मिलने वाला भुगतान अप्राप्त रहा जिसके संबंध में उन्होंने आरटीआई आवेदन दायर कर जानकारी चाही।

(5) प्रकरण में दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15/07/2022 को आरटीआई आवेदन कार्यालय नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को प्रेषित किया गया था। उक्त आवेदन पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही ना करने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 26/09/2022 को कार्यालय अधीक्षण यंत्री जल प्रदाय विभाग नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को दायर की गयी। इसके उपरांत भी जानकारी प्राप्त न होने पर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील दिनांक 01/12/2022 को प्रस्तुत की गयी।

(6) आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान उपस्थित वर्तमान लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि श्री राजेश शर्मा से आयोग द्वारा पूछा गया कि आरटीआई आवेदन दिनांक 15/07/2022 पर तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री संजय सोलंकी क्या निराकरण किया गया तो श्री राजेश शर्मा द्वारा बताया गया कि इस आवेदन के संबंध में इनके पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन पर क्या कार्यवाही की गयी।

(7) आयोग के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि आरटीआई आवेदन दिनांक 15/07/2022 पर पदस्थ तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री संजय सोलंकी को धारा 6(1) के तहत जानकारी अपीलार्थी को उपलब्ध करानी थी। वांछित जानकारी बेहद सरल एवं सुलभ रूप में कार्यालय में उपलब्ध थी एवं निर्धारित समयावधि 30 दिन के अंदर आरटीआई आवेदक को उपलब्ध करायी जा सकती थी। श्री संजय सोलंकी तत्कालीन लोक सूचना

Firefox https://sic.mp.gov.in/Admin/preparenotesheet.php?reg_no=A-73

पृ. क्र. 4

A-7388/SIC/GWALIOR/2022

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

नस्ती क्र.

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरूद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) का उल्लंघन किया गया है। वही अगर श्री संजय सोलंकी जानकारी को रोकना चाहते थे तो नियम अनुरूप उन्हें आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर जानकारी रोकने का युक्तियुक्त आधार लिखते हुए आरटीआई आवेदक को सूचित करना चाहिए था। अतः आयोग श्री संजय सोलंकी तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को धारा 20 के तहत राशि रूपये 25,000 के जुर्माने अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न उनके विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही आयोग द्वारा की जाए।

(8) अतः आयोग श्री संजय सोलंकी वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को आदेशित करता है कि वे आदेश प्राप्ति के 05 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 15/07/2022 में चाही गयी वांछित जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क पंजीकृत डाक से प्रदाय कर पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष दिनांक 02/11/2023 तक भेजना सुनिश्चित करें।

(9) प्रकरण में आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत प्रथम अपीलीय अधिकारी/अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 के द्वारा तत्समय अपीलार्थी की प्रथम अपील का विधि विरूद्ध तरीके से समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं किया गया है। अतः आयोग प्रथम अपीलीय अधिकारी को सचेत करता है कि भविष्य में प्रथम अपील का निराकरण विधि सम्मत तरीके से करे अन्यथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(10) आयोग प्रकरण में श्री संजय सोलंकी तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु उनकी व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 02/11/2023 को म0प्र0 राज्य सूचना आयोग 35-बी "सूचना भवन" भू तल, कोर्ट रूम कमांक 02, भोपाल में नियत करता है।

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
15/09/2023

A-7388/SIC/GWALIOR/2022 मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

भोपाल /09/2023

प्रतिलिपि,

1.श्री संजय सोलंकी,
तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/
अधीक्षण यंत्री,
जल प्रदाय विभाग,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

3. श्री विमल जैन, (आवेदक)
पारस विला एस–1 प्लॉट 258
दानिशकुंज श्री शांतिनाथ
जैन मंदिर के पास, कोलार रोड भोपाल
जिला–भोपाल म0प्र0

SCN प्रपत्र/
EOD मुल/

अनुभाग अधिकारी

27/9/2023

जावक क्रमांक : 10592-90
दिनांक 22.9.23

A-7388/SIC/GWALIOR/2022

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0)। आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना।

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

A-7388/Gwalior/2023

आदेश
02/11/2023

Vimal Jain 2-11-2023 विमल जैन 903985317

(1) प्रकरण में नियत सुनवाई दिनांक 02/11/2023 में कारण बताओ सुनवाई सूचना पत्र की की सुनवाई में अपीलार्थी श्री विमल जैन उपस्थित। श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 अनुपस्थित रहे।

(2) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 15/07/2022 को लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 में दायर कर निम्नानुसार 06 बिन्दुओं की जानकारी मांगी गयी–

(1) आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा 1,04,68,136 रुपये का भुगतान किया गया उपरोक्त राशि के सभी आदेशों, देयकों तथा माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। भुगतान नोटशीट भी दिलवाने का कष्ट करें।

(2) आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रार्थी की फर्म मेसर्स पारस एक्वाटेक को 691 देयकों की राशि 3368136/–रूपये का भुगतान किया गया था। उक्त राशि की भुगतान नोटशीट कार्यादेश देयक, माप पुस्तिकाओं तथा भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। संलग्न पत्र क्रमांक 3296 दिनांक 10/02/2012

(3) आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित भुगतान गणना समिति द्वारा 517 देयकों की राशि 3289938 मान्य की गई थी उपरोक्त राशि के आदेशों, देयकों तथा माप पुस्तिकाओं तथा भुगतान नोटशीट की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। आज दिनांक तक 517 देयकों के भुगतान के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। संलग्न पत्र क्रमांक 471 दिनांक 10/02/2012

(4) आयुक्त कार्यालय के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1122 दिनांक 06/04/2022 चतुर्थ सदस्यी भुगतान गणना समिति द्वारा जो भुगतान के संबंध में की गई कार्यवाही की नोटशीट की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें, आज दिनांक तक 517 कार्यादेशों, 517 देयकों तथा माप पुस्तिकाओं तथा आज दिनांक तक की गई भुगतान कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(5) कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय खंड क्रमांक–2 नगर निगम ग्वालियर के पत्र क्रमांक 6636 दिनांक 01/12/2011 में 17 बंडलों की गणना के समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दिलवाने बाबत्।

(6) मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्र क्रमांक 470 दिनांक 12/01/2021 के तहत आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा की गयी कार्यवाही के संपूर्ण भुगतान संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दिलवाने बाबत् संलग्न पत्र।

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी नहीं मिलना

(3) प्रकरण में श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 द्वारा आयोग के समक्ष प्रतिवेदन दिनांक 27/10/2023 प्रेषित किया गया। जिसमें लेख है कि–

" उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि द्वितीय अपील कमांक A-7388/2022 अपीलार्थी श्री विमल जैन के प्रकरण में दिनांक 15.09.2023 को माननीय राज्य सूचना आयोग महोदय के द्वारा सुनवाई उपरान्त संदर्भित आदेश पारित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.07.2022 में चाही गई बाधित जानकारी 05 दिवस के भीतर निशुल्क पंजीकृत डाक से प्रदाय कर पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष दिनांक 02.11.2023 तक भेजना सुनिश्चित करने एवं कारण बताओ नोटिस का जबाब प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई दिनाक 02.11.2023 नियत की गई है।

उक्त आदेश के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा अपीलार्थी श्री विमल जैन को कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आवेदन दिनांक 15.07.2022 में चाही गई बाधित जानकारी के संबंधित अभिलेखों की छाया प्रतिया इस कार्यालय के पत्र कमांक 1295 दिनांक 27.102023 से स्पीड पोस्ट के माध्यम से निशुल्क प्रदाय की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र एवं स्पीड पोस्ट की छाया प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है।

म. प्र विधान सभा चुनाव दिनांक 17.11.2023 को होना नियत है। जिसके संबंध में कलेक्टर जिला ग्वालियर के द्वारा चुनाव ट्रेनिंग, मत पेटी वितरण, मतपेटी जमा करने, एवं शहर के चार विधान सभा के 1042 मतदान केन्द्रों पर पेयजल व्यवस्था किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये है। उक्त आदेश के क्रम में अधोहस्तांजरकर्ता द्वारा 1042 मतदान केन्द्रो का निरीक्षण करने एवं उन पर पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कार्य संपादित कराया जा रहा है। जिस कारण दिनांक 02 11.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई हेतु उपस्थित रहने में असमर्थ है।

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय के समक्ष रखने एवं प्रकरण में तिगत सुनाई हेतु आगामी तिथी नियत किये जाने हेतु हेतु अनुरोध है।"

(4) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान बताया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जो जानकारी उनको उपलब्ध करायी गयी है वह अपूर्ण एवं भ्रामक है। सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया है।

(5) आवेदक द्वारा बिन्दु कमांक 01 में निम्नलिखित जानकारी चाही गयी – आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा 1,04, 68,136 रुपये का भुगतान किया गया उपरोक्त राशि के सभी आदेशों, देयकों तथा माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। भुगतान नोटशीट भी दिलवाने का कष्ट करें।

बिन्दु क्रमांक 01 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया कि– वर्ष 2022 से 2007 तक की अवधि के प्रकरण संख्या 3195 एवं 42 माप पुस्तिकाएं लेखा शाखा, नगर निगम, ग्वालियर के द्वारा सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, ग्वालियर को दिनांक 27/11/2014 से प्रेषित की गई है,

विषय- द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

जो आज दिनांक तक इस कार्यालय में कार्यवाही उपरांत प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण आपको चाही गयी जानकारी से संबंधित अभिलेख प्रदाय किया जाना संभव नहीं है।

आयोग का मत– उक्त बिन्दु के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार करने योग्य नही है। आयोग के समक्ष स्वयं लोक सूचना अधिकारी के कथन से स्पष्ट है कि माप पुस्तिकाएं भुगतान नोटशीट की जानकारी लेखा शाखा नगर निगम ग्वालियर द्वारा सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर दिनांक 27/11/2014 को को प्रेषित की गयी थी। जिससे उक्त जानकारी को लोक सूचना अधिकारी कार्यालय आयुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर बेहद एवं सरल एवं सुलभ रूप से निधि संपरीक्षा ग्वालियर से प्राप्त करके आवेदक को उपलब्ध करा सकते थे लेकिन उक्त संबंध में उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर नगर निगम ग्वालियर के ही अधीन है एवं उक्त जानकारी अधिनियम की धारा 5(4) के तहत लोक सूचना अधिकारी सरल एवं सुलभ रूप में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।

आवेदक द्वारा बिन्दु कमांक 02 में निम्नलिखित जानकारी चाही गयी – **आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रार्थी की फर्म मेसर्स पारस एक्वाटेक को 691 देयकों की राशि 3368136/–रूपये का भुगतान किया गया था। उक्त राशि की भुगतान नोटशीट कार्यादेश देयक, माप पुस्तिकाओं तथा भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। संलग्न पत्र क्रमांक 3296 दिनांक 10/02/2012**

बिन्दु क्रमांक 02 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया कि– **इस कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर सत्यापित छायाप्रतियां पृष्ठ कमांक 01 से लगायत 61 तक संलग्न है।**

आयोग का मत– उक्त बिन्दु के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब समाधानकारक है। आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा चाही गयी बिन्दु कमांक 02 जानकारी आवेदक को संपूर्ण उपलब्ध करायी गयी है एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही समाधानकारक है।

आवेदक द्वारा बिन्दु कमांक 03 में निम्नलिखित जानकारी चाही गयी – **आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित भुगतान गणना समिति द्वारा 517 देयकों की राशि 3289938 मान्य की गई थी उपरोक्त राशि के आदेशों, देयकों तथा माप पुस्तिकाओं तथा भुगतान नोटशीट की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। आज दिनांक तक 517 देयकों के भुगतान के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। संलग्न पत्र क्रमांक 471 दिनांक 10/02/2012**

बिन्दु क्रमांक 03 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया कि– **माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर प्रकरण कमांक–डब्ल्यू0पी0 2589/2017 M/s Paras Aquatech Through Properiter Vimal Jain Vs. State of M.P. and another में दिनांक 30/10/2017 को पारित निर्णय के कम में आपके आवेदन पर विचार नहीं किया गया जिस कारण**

विषय द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

आपके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं होने से अभिलेख की छायाप्रतियां देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

आयोग का मत– उक्त बिन्दु के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है। यहां आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा उक्त बिन्दु पर आपत्ति दर्ज कराते हुए यह कथन किया गया कि आवेदन में 517 देयकों की राशि 3289938/– मान की गयी थी। उपरोक्त राशि के माप पुस्तिकाएं और भुगतान नोटशीट उपलब्ध है लेकिन लोक सूचना अधिकारी द्वारा भ्रामक जानकारी देकर उपलब्ध जानकारी को अवरूद्ध किया जा रहा है। अपने कथन के पक्ष में आवेदक द्वारा दिनांक 06/04/2022 को श्री किशोर कुमार आयुक्त नगर निगम ग्वालियर द्वारा उपरोक्त राशि 3289938/– की पुर्नरक्षित गणना किये जाने हेतु गठित जांच दल की प्रतिलिपी प्रस्तुत की गयी है। आवेदक का कथन है कि इस प्रकरण में पुर्नरक्षित गणना की गयी है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में गणना विभाग द्वारा की गयी थी।

आवेदक द्वारा बिन्दु कमांक 04 में निम्नलिखित जानकारी चाही गयी –
आयुक्त कार्यालय के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1122 दिनांक 06/04/2022 चतुर्थ सदस्यी भुगतान गणना समिति द्वारा जो भुगतान के संबंध में की गई कार्यवाही की नोटशीट की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें, आज दिनांक तक 517 कार्यादेशों, 517 देयकों तथा माप पुस्तिकाओं तथा आज दिनांक तक की गई भुगतान कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

बिन्दु क्रमांक 04 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया कि– मानवाधिकार आयोग के पत्र दिनांक 12/05/2022 के कम में आयुक्त नगर निगम ग्वालियर के द्वारा चतुर्थ सदस्य समिति का गठन आदेश दिनांक 06/04/2022 से किया गया था, सदस्यों द्वारा आपके प्रकरण पर अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर प्रकरण कमांक–डब्ल्यू0पी0 2589/2017 M/s Paras Aquatech Through Properiter Vimal Jain Vs. State of M.P. and another में दिनांक 30/10/2017 को पारित निर्णय के कम में भुगतान संबंधी कार्यवाही लंबित रखी गयी है। जिस कारण सदस्यों द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी और आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया जिसके कम में आयुक्त महोदय द्वारा मानवाधिकार आयोग पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसकी छायाप्रति पृष्ठ कमांक 01 लगायत 03 संलग्न है।

आयोग का मत– उक्त बिन्दु के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है। यहां आयोग द्वारा छायाप्रति पृष्ठ कमांक 01 लगायत 03 का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा भ्रामक जानकारी प्रेषित की गयी है। उक्त जानकारी 2008 से संबंधित देयकों की है ना कि कार्यालय आदेश कमांक 1122 दिनांक 06/04/2022 से संबंधित है। आयोग पुनः इसमें लोक सूचना अधिकारी को आदेशित करता है कि वे सुनिश्चित करे कि इसमें आयुक्त कार्यालय के कार्यालयीन आदेश कमांक 1122 दिनांक 06/04/2022 से संबंधित जो भी दस्तावेज उनके कार्यालय में उपलब्ध है जिसमें उनके स्वयं के द्वारा लेख किया गया है कि सदस्यों द्वारा आयुक्त महोदय को अवगत कराया गया जिसके कम में आयुक्त महोदय द्वारा मानवाधिकार आयुक्त

द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

को अवगत कराया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त जानकारी कार्यालय में मौजूद है लेकिन उक्त जानकारी को आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही आवेदक को उपलब्ध कराया गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर भ्रामक जानकारी दी गयी है।

आवेदक द्वारा बिन्दु क्रमांक 05 में निम्नलिखित जानकारी चाही गयी – **कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय खंड क्रमांक–2 नगर निगम ग्वालियर के पत्र क्रमांक 6636 दिनांक 01/12/2011 में 17 बंडलों की गणना के समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दिलवाने बाबत्।**

बिन्दु क्रमांक 05 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया कि– **17 बण्डलों के संबंध में पूर्व में कार्यरत लिपिक से पूछताछ की जा रही है। जानकारी/अभिलेख प्राप्त होने पर आपको जानकारी प्रदाय की जावेगी।**

आयोग का मत– उक्त बिन्दु के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब समाधानकारक है। आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा चाही गयी बिन्दु कमांक 05 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही संतोषजनक है।

आवेदक द्वारा बिन्दु कमांक 06 में निम्नलिखित जानकारी चाही गयी – **मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्र क्रमांक 470 दिनांक 12/01/2021 के तहत आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा की गयी कार्यवाही के संपूर्ण भुगतान संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दिलवाने बाबत् संलग्न पत्र।**

बिन्दु क्रमांक 06 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा लेख किया गया कि– **बिन्दु कमांक 03 के अनुसार।**

आयोग का मत– उक्त बिन्दु के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार करने योग्य नहीं है। यहां आयोग के समक्ष स्पष्ट है कि दस्तावेजों में भ्रामक जानकारी टालमटोल करके दी जा रही है इसको आयोग बेहद गंभीरता से लेता है। मध्यप्रदेश शासन जन शिकायत निवारण विभाग द्वारा 2014 में पारित निराकरण आदेश का भी इस प्रकरण में अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि आवेदक का करीब 32,89938/– राशि लोकायुक्त कार्यालय में लंबित होने से भुगतान हेतु लंबित रखा गया है जबकि 2018 में उक्त लोकायुक्त प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा चुका था एवं उसके बाद भी आवेदक को भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 05/04/2022 को आयुक्त नगर निगम कार्यालय ग्वालियर द्वारा पुनः शेष राशि 32,89938/– के पुर्ररक्षित गणना के लिए 04 सदस्यो की जांच दल को गठित किया गया। इसके अलावा 2018 में भी कार्यपालन यंत्री द्वारा आवेदक को लिखित में सूचित किया गया कि वे अपने 2003 से लगायत 2007 तक समस्त कार्यों की शेष राशि के भुगतान से संबंधित सहमति पत्र प्रस्तुत कर अपना भुगतान नगर निगम से प्राप्त करें, लेकिन इसके पश्चात् भी आवेदक को कोई जानकारी प्रदाय नहीं की गयी। इससे स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गयी जानकारी विरोधाभाषी है।

द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

(6) आयोग प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि आरटीआई आवेदन दिनांक 20/09/2022 15/07/2022. पर लोक सूचना अधिकारी श्री संजय सोलंकी द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक श्री विमल जैन को अपूर्ण जानकारी प्रदाय करायी गयी है एवं आयोग के आदेश दिनांक 15/09/2023 के संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया। जिस पर आयोग अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता है।

(7) अतः आयोग श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आदेशित करता है कि वे आदेश प्राप्ति के 05 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 20/09/2022 15/07/2022. में चाही गयी 03 बिन्दुओं की पूर्ण जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क पंजीकृत डाक से प्रदाय कर पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष दिनांक 04/01/2024 तक भेजना सुनिश्चित करे। आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि उक्त जानकारी संविधान की धारा 21 के तहत चाही गयी सूचना आवेदक के जीविका से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसमें आवेदक के जो भी देयक लंबित राशि है उसके लिए आवेदक को पिछले 12 साल से परेशान है एवं विभाग उनको दस्तावेज की संपूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं कर रहा है। यह गंभीर मुद्दा है एवं आयोग इसमें लगातार की गयी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए **इस प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जांच संस्थित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(3)(a) के तहत लोकप्राधिकारी– श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आदेशित करता है कि वे इस प्रकरण में आवेदक द्वारा चाही गयी 06 बिन्दुओं की जानकारी से संबंधित सभी रिकार्ड की मूल प्रति/नस्ती लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित हो। अतः उक्त आदेश की एक प्रति आयुक्त नगर निगम ग्वालियर को भी प्रेषित की जाए ताकि वे लोक सूचना अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें।**

(8) आयोग प्रकरण में श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत करने हेतु एक और मौका देता है एवं उनकी व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक 04/01/2024 को म0प्र0 राज्य सूचना आयोग 35 बी "सूचना भवन" भू तल, कोर्ट रूम क्रमांक 02, भोपाल में नियत करता है। अतः आयोग आवेदक श्री विमल जैन को भी आदेशित करता है कि वे आगामी सुनवाई दिनांक 04/01/2024 में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होवे।

Rahul

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
02/11/2023

पृ. क्र. 12

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

पन्नां क्र.

विषय द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

प्रतिलिपि, 12316 भोपाल28/11/2023

1.श्री संजय सोलंकी,
तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

2. प्रथम अपीलीय अधिकारी/
अधीक्षण यंत्री,
जल प्रदाय विभाग,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

3. आयुक्त,
नगर निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

4. श्री विमल जैन, (आवेदक)
पारस विला एस–1 प्लॉट 258
दानिशकुंज श्री शांतिनाथ
जैन मंदिर के पास, कोलार रोड भोपाल
जिला–भोपाल म0प्र0

अनुभाग अधिकारी

28-11-2023

जावक क्रमांक : 12316

दिनांक : 28.11.23

A-7388/SIC/GWALIOR/2022

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

पृ. क्र. ....

विषय : ...द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय,आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

13

Vimal Jain
4-1-2024
9039853171

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

A-7388/Gwalior/2022

आदेश
04/01/2024

(1) प्रकरण में नियत कारण बताओ सूचना पत्र की सुनवाई दिनांक 04/01/2024 में अपीलार्थी श्री विमल जैन उपस्थित। श्री संजय सोलंकी, तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 एवं श्री ए0पी0एस0 भदौरिया वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/ कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 अनुपस्थित रहे।

(2) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 15/07/2022 को लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 में दायर कर निम्नानुसार 06 बिन्दुओं की जानकारी मांगी गयी–

(1) आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा 1,04,68,136 रुपये का भुगतान किया गया उपरोक्त राशि के सभी आदेशों, देयकों तथा माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। भुगतान नोटशीट भी दिलवाने का कष्ट करें।

(2) आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रार्थी की फर्म मेसर्स पारस एक्वाटेक को 691 देयकों की राशि 3368136/–रूपये का भुगतान किया गया था। उक्त राशि की भुगतान नोटशीट कार्यादेश देयक, माप पुस्तिकाओं तथा भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। संलग्न पत्र क्रमांक 3296 दिनांक 10/02/2012

(3) आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित भुगतान गणना समिति द्वारा 517 देयकों की राशि 3289938 मान्य की गई थी उपरोक्त राशि के आदेशों, देयकों तथा माप पुस्तिकाओं तथा भुगतान नोटशीट की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। आज दिनांक तक 517 देयकों के भुगतान के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। संलग्न पत्र क्रमांक 471 दिनांक 10/02/2012

(4) आयुक्त कार्यालय के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1122 दिनांक 06/04/2022 चतुर्थ सदस्यी भुगतान गणना समिति द्वारा जो भुगतान के संबंध में की गई कार्यवाही की नोटशीट की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें, आज दिनांक तक 517 कार्यादेशों, 517 देयकों तथा माप पुस्तिकाओं तथा आज दिनांक तक की गई भुगतान कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(5) कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय खंड क्रमांक–2 नगर निगम ग्वालियर के पत्र क्रमांक 6636 दिनांक 01/12/2011 में 17 बंडलों की गणना के समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दिलवाने बाबत्।

(6) मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्र क्रमांक 470 दिनांक 12/01/2021 के तहत आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा की गयी कार्यवाही के संपूर्ण भुगतान संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दिलवाने बाबत् संलग्न पत्र।

(4) आयोग के समक्ष दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित पत्र कमांक 1456 दिनांक 28/12/2023 के माध्यम से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गयी जानकारी के संबंध में सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा नगर निगम ग्वालियर जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है एवं उक्त जानकारी प्राप्त होते ही आवेदक को उपलब्ध करा दी जाएगी। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी का उक्त कथन संतोषजनक नहीं है। आयोग के समक्ष यह भी स्पष्ट है कि वर्तमान लोक सूचना अधिकारी दिनांक 08/11/2023 में कार्यलय में पदस्थ हो गये थे। जबकि उनके पास लगभग 02 माह का पर्याप्त समय था जिसमें वे आवेदक को उपलब्ध करा सकते थे। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपनी अनुपस्थिति के संबंध में बताया गया कि उनकी आज ट्रेन निरस्त होने के कारण वे सुनवाई में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। उक्त निवेदन को आयोग आशिंक रूप से मान्य करता है।

(5) प्रकरण में आयोग आयोग द्वारा पूर्व सुनवाई दिनांक 02/11/2023 को अधिनियम की धारा 18(3) के तहत वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर को आदेशित किया था कि वे इस प्रकरण में आवेदक द्वारा चाही गयी 06 बिन्दुओं की जानकारी से संबंधित सभी रिकार्ड की मूल प्रति/नस्ती लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित हो, परन्तु वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 18(3) का उल्लंघन करते हुए रिकार्ड की मूल नस्ती लेकर आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अतः आयोग पुनः प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जांच संस्थित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(3)(a) के तहत लोकप्राधिकारी– श्री ए0पी0एस0 भदौरिया वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आदेशित करता है कि वे इस प्रकरण में आवेदक द्वारा चाही गयी 06 बिन्दुओं की जानकारी से संबंधित सभी रिकार्ड की मूल प्रति/नस्ती लेकर अनिवार्य रूप से आयोग के समक्ष सुनवाई दिनांक *19/01/2024* में उपस्थित हो अगर लोक सूचना अधिकारी उपस्थित नही हो पाते है तो वे किसी अन्य के माध्यम से दस्तावेज प्रेषित करे अथवा जानकारी समय सीमा के अंदर लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध ना कराये जाने पर यह लोक सूचना अधिकारी की भूमिका पर सवालिया निशान लगाता है

(6) आयोग के समक्ष सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा बताया गया कि तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी श्री संजय सोलंकी द्वारा करोड़ो रूपयों का गबन करने के कारण वे जेल में है। अतः आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(a) के तहत लोकप्राधिकारी– जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल ग्वालियर म0प्र0 को यह भी आदेशित करता है कि वे इस आदेश के साथ संलग्न पूर्व आदेश दिनांक 15/09/2023, दिनांक 02/11/2023 एवं आदेश दिनांक 04/01/2024 की प्रति श्री संजय सोलंकी तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 को तामीली कराये। प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(7) के तहत संबंधित लोकप्राधिकारी पर आयोग का आदेश बाध्यकारी है।

15

पृ. क्र. .....

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

विषय : द्वितीय अपील श्री विमल जैन, विरुद्ध लोक सूचना अधिकारी कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) एवं अपीलीय अधिकारी कार्यालय अधीक्षण यंत्री, जल प्रदाय विभाग, नगर पालिक निगम, जिला ग्वालियर (म0प्र0) । आ0 दि0 15/07/2022 अनुसार जानकारी न मिलना

(7) आयोग प्रकरण में श्री ए0पी0एस0 भदौरिया वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एक और अंतिम मौका देते हुए उनकी व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक *19/01/2024* को म0प्र0 राज्य सूचना आयोग 35 बी "सूचना भवन" भू तल, कोर्ट रूम कमांक 02, भोपाल में नियत करता है।

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
04/01/2024
भोपाल 17/01/2024

प्रतिलिपि, 435

1.श्री संजय सोलंकी,
तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

2.श्री ए0पी0एस, भदौरिया,
वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

3.लोकप्राधिकारी–,
जेल अधीक्षक,
सेंट्रल जेल ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

4. प्रथम अपीलीय अधिकारी/
अधीक्षण यंत्री,
जल प्रदाय विभाग,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

5. आयुक्त,
नगर निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

6.श्री विमल जैन, (आवेदक)
पारस विला एस–1 प्लॉट 258
दानिशकुंज श्री शांतिनाथ
जैन मंदिर के पास, कोलार रोड भोपाल
जिला–भोपाल म0प्र0

अनुभाग अधिकारी

आदेश क्रमांक : 435
दिनांक : 17.1.24

पीठासीन : राहुल सिंह, राज्य सूचना आयुक्त

Vimal
19/01/2024

A-7388/Gwalior/2022

आदेश
19/01/2024

(1) प्रकरण में नियत कारण बताओ सूचना पत्र की सुनवाई दिनांक 19/01/2024 में अपीलार्थी श्री विमल जैन उपस्थित। वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आयोग द्वारा सिविल प्रकिया संहिता 1908 के तहत जारी सुनवाई समन दिनांक 19/01/2024 की अवहेलना करते हुए अनुपस्थित रहे और ना ही उनके द्वारा सुनवाई के संबंध में जवाब प्रस्तुत किया गया, जिस पर आयोग अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करता है।

(2) अपीलार्थी श्री विमल जैन द्वारा आरटीआई आवेदन दिनांक 15/07/2022 को लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय नगर पालिक निगम ग्वालियर म0प्र0 में दायर कर निम्नानुसार 06 बिन्दुओं की जानकारी मांगी गयी–

(1) आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा 1,04,68,136 रुपये का भुगतान किया गया उपरोक्त राशि के सभी आदेशों, देयकों तथा माप पुस्तिकाओं की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। भुगतान नोटशीट भी दिलवाने का कष्ट करें।

(2) आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा प्रार्थी की फर्म मेसर्स पारस एक्वाटेक को 691 देयकों की राशि 3368136/–रूपये का भुगतान किया गया था। उक्त राशि की भुगतान नोटशीट कार्यादेश देयक, माप पुस्तिकाओं तथा भुगतान संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। संलग्न पत्र क्रमांक 3296 दिनांक 10/02/2012

(3) आयुक्त कार्यालय द्वारा गठित भुगतान गणना समिति द्वारा 517 देयकों की राशि 3289938 मान्य की गई थी उपरोक्त राशि के आदेशों, देयकों तथा माप पुस्तिकाओं तथा भुगतान नोटशीट की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें। आज दिनांक तक 517 देयकों के भुगतान के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। संलग्न पत्र क्रमांक 471 दिनांक 10/02/2012

(4) आयुक्त कार्यालय के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1122 दिनांक 06/04/2022 चतुर्थ सदस्यी भुगतान गणना समिति द्वारा जो भुगतान के संबंध में की गई कार्यवाही की नोटशीट की छायाप्रति दिलवाने का कष्ट करें, आज दिनांक तक 517 कार्यादेशों, 517 देयकों तथा माप पुस्तिकाओं तथा आज दिनांक तक की गई भुगतान कार्यवाही के समस्त दस्तावेजों छायाप्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(5) कार्यपालन यंत्री जल प्रदाय खंड क्रमांक–2 नगर निगम ग्वालियर के पत्र क्रमांक 6636 दिनांक 01/12/2011 में 17 बंडलों की गणना के समस्त भुगतान संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दिलवाने बाबत्।

(6) मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पत्र क्रमांक 470 दिनांक 12/01/2021 के तहत आयुक्त कार्यालय नगर निगम ग्वालियर द्वारा की गयी कार्यवाही के संपूर्ण भुगतान संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति दिलवाने बाबत् संलग्न पत्र।

(3) आयोग के समक्ष दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत स्पष्ट है कि वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आयोग द्वारा लगातार इस प्रकरण में जानकारी देने के आदेश दिनांक 15/09/2023, 02/11/2023, 04/01/2024 एवं 19/01/2024 को दिये गये थे, लेकिन इसके बावजूद वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस प्रकरण लापरवाही पूर्वक आयोग के आदेश की अवहेलना करते हुए जानकारी आयोग के समक्ष उपलब्ध नहीं करायी। यह स्पष्ट रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(7) का उल्लंघन है जिसके तहत आयोग का आदेश संबंधित लोकप्राधिकारी पर आज्ञापज्ञ है। आयोग के आदेश की लगातार अवहेलना से यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी की नीयत जानकारी को जानबूझकर रोकने की है।

(4) अतः आयोग पुनः प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जांच संस्थित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18(3)(a) के तहत लोकप्राधिकारी– वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को आदेशित करता है कि वे इस प्रकरण में आवेदक द्वारा चाही गयी 06 बिन्दुओं की जानकारी से संबंधित सभी रिकार्ड की मूल प्रति/नस्ती लेकर अनिवार्य रूप से आयोग के समक्ष सुनवाई दिनांक 05/*02/2024* में उपस्थित हो अगर लोक सूचना अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाते है तो **आयोग यह स्पष्ट करता है कि अगर आगामी सुनवाई दिनांक 05/02/2024 को आयोग के समक्ष प्रकरण में वांछित दस्तावेज एवं प्रतिवेदन से संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तो आयोग संबंधित दस्तावेज को अपने समक्ष उपलब्ध करवाने हेतु वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 के विरूद्ध अधिनियम की धारा 18(3) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जमानती वारंट (BAILABLE WARANT) जारी करने की प्रकिया सुनिश्चित करेगा।**

(5) आयोग प्रकरण में वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नगर पालिक निगम, ग्वालियर म0प्र0 को जानकारी प्रस्तुत करने हेतु एक और अंतिम मौका देते हुए उनकी व्यक्तिगत सुनवाई दिनांक ***05/02/2024*** को म0प्र0 राज्य सूचना आयोग 35 बी "सूचना भवन" भू तल, कोर्ट रूम कमांक 02, भोपाल में नियत करता है।

(राहुल सिंह)
राज्य सूचना आयुक्त
19/01/2024

पृ. क्र. ....

मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग

नस्ती क्र. ....

विषय : ....

प्रतिलिपि,

भोपाल /01/2024

1.श्री संजय सोलंकी,
तत्कालीन एवं वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

2.श्री ए0पी0एस. भदौरिया,
वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

3.वर्तमान लोक सूचना अधिकारी/कार्यालय
कार्यपालन यंत्री,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

4.लोकप्राधिकारी–,
जेल अधीक्षक,
सेंट्रल जेल ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

5. प्रथम अपीलीय अधिकारी/
अधीक्षण यंत्री,
जल प्रदाय विभाग,
नगर पालिक निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

6. आयुक्त,
नगर निगम, ग्वालियर
जिला–ग्वालियर म0प्र0

7.श्री विमल जैन, (आवेदक)
पारस विला एस–1 प्लॉट 258
दानिशकुंज श्री शांतिनाथ
जैन मंदिर के पास, कोलार रोड भोपाल
जिला–भोपाल म0प्र0

अनुभाग अधिकारी

शाकेमुभो– 312 –अम्भमुआभो–25-3-21–60,000.